"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012— श्रावण 26, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बी. एन. वी. कृष्णा पिता श्री बी. व्ही. आन्जनेयुल, आयु 49 साल, निवासी-मकान नं.- 153-A, सड़क नं.-30, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपनी पुत्री "बी सुवर्णा" जिसकी जन्मतिथि 17-4-1993 है का नाम परिवर्तित कर नया नाम बी. महती (B. MAHATI) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को बी. महती पिता बी. एन. वी. कृष्णा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
बी. सुवर्णा (B. SUVARNA) पिता - श्री बी. एन. वी. कृष्णा निवासी-मकान नं. 153-A सड़क नं. - 30 स्मृति नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बी. महती (B. MAHATI) पिता - श्री बी. एन. वी. कृष्णा निवासी-मकान नं. 153-A सड़क नं. - 30 स्मृति नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोमन लाल साहू पिता श्री परसराम साहू, आयु 51 साल, निवासी -प्लाट नं.- 498/2/9, वी. आई. पी. नगर, रिसाली, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सीनियर आपरेटिव क्रेन के पद पर एस. एम. एस-2 विभाग में कार्यरत हूं, मेरा पर्सनल नं. 143146 है, मेरे सर्विस रिकार्ड में भूलवश मेरा नाम रोमन लाल पिता परसराम अंकित हो गया है को परिवर्तित कर मैं अपना नाम रोमन लाल साहू पिता श्री परसराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे रोमन लाल साहू पिता श्री परसराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
रोमन लाल	रोमन लाल साहू
पिता - श्री परसराम	पिता - श्री परसराम साहू
निवासी-प्लाट नं. 498/2/9	निवासी-प्लाट नं. 498/2/9
वी. आई. पी. नगर	वी. आई. पी. नगर
रिसाली, भिलाई नगर	रिसाली, भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माधोलाल चन्द्राकर आ. श्री चिन्ताराम चन्द्राकर, उम्र 39 वर्ष, निवासी -वार्ड क्र. - 17, कादम्बरी नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग - दुर्ग में खलासी के पद पर कार्यरत हूं, मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम माधोलाल एवं माधोलाल वर्मा अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नाम माधोलाल चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे माधोलाल चन्द्राकर पिता श्री चिन्ताराम चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
माधोलाल, माधोलाल वर्मा	माधोलाल चन्द्राकर
पिता - श्री चिन्ताराम चन्द्राकर	पिता - श्री चिन्ताराम चन्द्राकर
निवासी-वार्ड नं. 17, कादम्बरी नगर, दुर्ग	निवासी-वार्ड नं. 17, कादम्बरी नगर, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार आ. श्री आर. सी. बटघरे, आयु 42 वर्ष, निवासी -जूनियर एम. आई. जी.-8, वैशाली नगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नं. 152884 है, यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम के साथ मेरा उपनाम (सरनेम) "बटघरे" अंकित नहीं है को दर्ज किया जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे विनोद कुमार बटघरे पिता श्री आर. सी. बटघरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विनोद कुमार (VINOD KUMAR) पिता - श्री आर. सी. बटघरे निवासी-जूनियर एम. आई. जी.-8 वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विनोद कुमार बटघरे (VINOD KUMAR BATGHARE) पिता - श्री आर. सी. बटघरे निवासी-जूनियर एम. आई. जी.-8 वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जशपुर, छत्तीसगढ़

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2011-2012

जशपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक 1765/वाचक-1/2012.— चूंकि श्री मुकेश कुमार गंगवाल (जैन) न्यासी, श्री सौरभ सागर वेलफेयर ट्रस्ट, जशपुरनगर, तहसील व जिला जशपुर द्वारा श्री सौरभ सागर वेलफेयर ट्रस्ट को लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 05 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई, लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा समस्त आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर सुनवाई दिनांक 21 अगस्त 2012 को इस न्यायालय में प्रात: 11.00 बजे नियत किया गया है. अत: इस न्यायालय में नियत तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 05 की उपधारा 1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच किया जाना प्रस्तावित किया जाता है.

एतद्द्वारा समस्त आम जनता एवं उक्त ट्रस्ट/न्यास या संपत्ति का कोई भी न्यासधारी अथवा कार्यकारी न्यासधारी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे अपना लिखित आपत्ति दो प्रतियों में स्वत: अथवा अपने अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 21 अगस्त 2012 तक प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सौरभ सागर वेलफेयर ट्रस्ट जशपुर, मुख्यालय-जशपुर, जिला-जशुपर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 25 जुलाई 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर अंकित कर जारी किया गया.

अवनीश कुमार शरण,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/677.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./940 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा आदिवासी खनिकर्म सहकारी समिति मर्या., मावलीभाटा, विकासखण्ड तोकापाल, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक /ए. आर./बी. टी. आर./292 दिनांक 01-06-1994 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. एल. कुजूर, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 19-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
प्रभारी उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.